प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:– विवादित खेत खसरा संख्या 1206 मिन कुल रकबा 27.10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वाकई ग्राम बिसलपुर की रेंज में आता है। खसरा संख्या 1206 सभी प्रार्थीगणों के संयुक्त/साझेदारी कृषि भूमि है। खसरा संख्या 1206 व 1206/1 पर सभी प्रार्थीगणों का निरन्तर शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा संख्या 1206 संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का प्रार्थीगण आपसी बंटवाडा कर अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि का मौके की वस्तुस्थिति अनुसार राजस्व ट्रेश नक्शे में तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी बिसलपुर से सम्पर्क कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया। जब हल्का पटसवारी बिसलपुर उक्त खसरा संख्या खत का बंटवाड़ा एवं तरमीम करने हेतु मौका मुआवन्ना किया तो ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 1206 की भूमि के कुछ हिस्से पर खसरा नं0 1421 के खातेदार (अप्रार्थीगणों) अनाधिकृत कब्जा काश्त है। खेत खसरा संख्या 1206 का सीमांकन करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार साहब को प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार सहाब ने अपने निर्देशों के साथ हल्का पटवारी बिसलपुरम्ण प्रेषित कर उक्त खवरा भमि का तय समय में सीमाकंन कर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाने का आदेश किया गया था। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी बिसलपुर ने दिनांक 21–5–-2024 के खसरा संख्या 1206 मिन की भूमि पर उपस्थित होकर वहां सभी उपस्थित मोतबिरान व प्रार्थीगणे व अप्रार्थीगणों के रूबरू सीमांकन कर मौके पर फर्द मौका तैयार कर पर उक्त फर्द मौके हम सभी उपस्थित मौतबिरान प्रार्थीगणों व अप्रार्थीगणों को हल्का पटवारी ने पढ सुनाकर मौका फर्द को समझकर सही मान कर हमसभी प्रार्थीगण एक राय होकर मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये यह सही है। प्रार्थीगणों की ओर से प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थीगणों की प्रार्थना को स्वीकार कर उक्त खेत खसरान 1206 मिन व 1206/1 की कृषि भूमि की पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगणों को भेजे गए नोटिसो की डाक रसीदे एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश कि जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ट्रैकिंग रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल हो चुके है। बावजूद तामिली के अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर जबाव का अवसर बंद किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त तथ्यों को दोहराकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि उक्त विवाद का स्थाई समाधान हो सके।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों को अवलोकन किया। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र उभय पक्ष के मध्य खेतों की सीमा को लेकर विवाद से संबंधित है जिसके समाधान हेतु उभय पक्ष खातेदारों की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का खातेदारी खेत संख्या 1206 मिन व 1206/1 की पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर मौके पर जाकर उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सभी खातेदारों की भूमि का रकबे अनुसार माप चौक कर सही सीमा पर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना से अवगत करावें साथ ही नजरी नक्शा न्यायालय मे पेश करें। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की मांग की जाए।

(पंकज कुमार) उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)
जोधपुर (दक्षिण)

निर्णय आज दिनांक 14/1/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)
जोधपुर (दक्षिण)

उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner